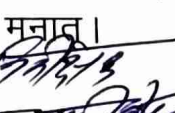


आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंधान के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातु। 88.18.22  अंचल अधिकारी, मनातु। अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। 02.01.23  अंचल अधिकारी, मनातु। अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय।  अंचल अधिकारी, मनातु।	

22.11.2023

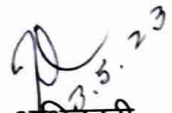
अभिलेख उपस्थापित राज्य निरीक्षक द्वारा
युक्त राज्य निरीक्षक से जांच में अभिलेख दिनांक
26.04.2023 को रखें


राजस्व

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस
कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से
नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 19.05.2023 को रखें।


अंचल अधिकारी,
मनातू।

19.05.2023

अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित रैयत को नोटिस किया गया। सूचना का तामिला प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 30.05.2023 रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

30.05.2023

अभिलेख उपस्थापित।

जमाबंदीदार/रैयत उपस्थित। उनके द्वारा बंदोबस्ती पर्चा, लगान रसिद एवं बंदोबस्ती नक्सा की छायाप्रति दाखिल की गई है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से रैयत द्वारा दाखिल प्रमाणों का मिलान कर जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 29.06.2023 ... को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

23.06.2023

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की पंजी 2 के पृष्ठ सं० 140/1 पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री/श्रीमति 2 हिसाब किताब दर्ज किया गया है। परिवर्तण के प्रधिकार कॉलम में बंदोबस्ती वाद सं० 126/2002-03 आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है।

अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,

कॉम्पल ऑफिसर
मनाद, जिला

विषय: जमीन/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं० १२ व १३/२०१६-१७ का
जॉयंट प्रतिवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपका नाम मीठा पंजी-१
के अवलोकन पश्चात पाया कि मीठा पंजी-१ के पेज नं०
१५०/१ पर खसिया वीवी को जमान मिठा को इकाति कर्मचारी
१/० कदीर मिठा कदीर मिठा, अराजदीन कर्मचारी, मीसाद
बली के नाम से मीठा नाम है/ पंजी-१ के
अनुसार जमि का विवरण इस प्रकार है:-

मीठा	पेगा	लॉट	खसिया	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
मीठा	०२	५५३/२	०.८०	Settlement case
मीठा	"	५५३/१	०.१२	NO - १२६/०२-०१
"	"	५५३/३	०.०८	
			१.००	

प्रतिवेदित जमि का राजस्व इसीद वर्ष - २०१०-११ से
वर्ष २०११-१२ तक निर्धारित है/ अंतिम जमान इसीद
संख्या - ५९३९३६१, दिनांक - १८.७.११ दर्ज है/ मीठाकारी
क्षेत्र से जमि 'बंदोबस्ती' से संबंधित राजस्व दस्तावेज
की मीठा की गई है जो अब तक आपात है/ कॉम्पल
कार्यालय से सूचना निर्धारित कर मीठाकारी क्षेत्र से
जमि बंदोबस्ती से संबंधित राजस्व दस्तावेज की मीठा
की जा सकती है/ तदनुसार अधिकतर कार्रवाई की जा
सकती है।

अतः जॉयंट प्रतिवेदन महोदय को अधिकतर कार्रवाई हेतु
सादर समर्पित।

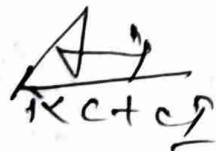

१८/०५/२३
Rajendra

विश्वासमान
अनिल कुमार
राज कुमार
हल्का-११

महशय,

कार्यालय द्वारा सूचना के प्रचार जमाबंदी स्थान के द्वारा
अभि बंदी से संबंधित बंदी पत्र, राजस्व रसीद की
व्यापार, पंजीन में इस बंदी का के आलेख में
जमाबंदी दर्ज किया गया है जिसके प्रत्येक कॉलम में
दर्ज है

अतः इस मामले में सदैव / हिंदु जमाबंदी (य) के
अन्तर्गत नहीं आता है


R C + C